



टी बोर्ड

14, बिप्लवी त्रैलोक्य महाराज सरणी,
कोलकाता-700001

दिनांक :17.11.2025

कार्यालय ज्ञापन सं 84/2025

कार्यालय ज्ञापन संख्या 48/2023 दिनांक 02.05.2023 के आंशिक संशोधन में, अधोहस्ताक्षरी को यह बताने का निदेश दिया जाता है कि सक्षम प्राधिकारी वास्तविक के अनुसार चिकित्सक के संबंध में परामर्श शुल्क की प्रतिपूर्ति करने की कृपा कर रहा है, जो आवश्यक बिल/ मूल रूप से प्राप्त धन और अधिकारियों द्वारा पहले से प्रस्तुत सभी चिकित्सा बिल जो निपटान के अधीन हैं, तदनुसार तय किए जाएंगे।

हालांकि, प्रत्येक अधिकारी सहित उनके परिवार के सदस्यों की प्रति वित्तीय वर्ष में 40,000/- रुपये की सीमा अपर आदेश तक अपरिवर्तित रहेगी।


(डॉ. ऋषिकेश राय)
सचिव (प्र)

वितरण:-

1.	बोर्ड के मुख्यालय, कोलकाता के सभी अधिकारी (उपाध्यक्ष को छोड़कर)	
2.	कार्यपालक निदेशक, टी बोर्ड, गुवाहाटी व कूनूर	
3.	वि.स. एवं मु.ले.अ.	
4.	वि.अ.(उ.प.भा), उ.नि.चा.वि, सिलिगुडी व फै.स.अ,पालमपूर	
5.	ले.अ. (प्र) (जेएजी/एसजी)	
6.	उपाध्यक्ष, वि.स. व मु.ले.अ., निचावि व सचिव के नि.सह	
7.	टीवीइए	
8.	आई.टी कक्ष	बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित
9.	स्थापना शाखा	अतिरिक्त प्रतियों सहित

Ref. File No. ESTT-POLY0MED/1/2025-Establishment